ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-2* May- 2021
Anthology : The Research

प्राचीन भारतीय चिन्तन में स्त्री का स्थान : वाल्मीकीय रामायण के विशेष सन्दर्भ में

Place of Woman in Ancient Indian Thought: with Special Reference to Valmikiya Ramayana

Paper Submission: 01/05/2021, Date of Acceptance: 15/05/2021, Date of Publication: 25/05/2021

पुष्पा चौधरी
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय,
सीकर, राजस्थान, भारत

बरखा सिंह
शोध छात्रा,
अंग्रेजी विभाग,
मोहनलाल सुखाडिया
विश्वविद्यालय, उदयपुर
राजस्थान, भारत

सारांश

प्राचीन भारतीय चिन्तन में स्त्री को मातृ शक्ति के रुप में पूजने की परम्परा रही है। हालांकि स्मृतिकाल में स्त्रियों की स्वतंत्रता एवं पुरूषों के साथ समानता का निशेधकिया गया है। महाकाव्य काल मे सामान्यतः सामाजिक सम्व्यवहारों में स्त्रियों के विरूद्ध असमानता या भेदभाव का प्रतिपादन नही किया गया है। वाल्मीकीय रामायण में स्त्रियों के सम्मानपूर्ण स्थान तथा आदर्शात्मक एवं मर्यादायुक्त जीवन का चित्रण किया गया है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने, परिवार में पुरूषों के समान सहभागिता आदि अधिकार प्राप्त थे तथा किसी प्रकार की स्त्रीजन्य कुरीतियों का समर्थन महाकाव्य में नही मिलता है। विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि उस काल में स्त्रियों की स्थिति सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया है। हालांकि शासन अथवा प्रशासन में स्त्रियों की भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता है।

In ancient Indian thought, there has been a tradition to worship a woman as a mother power. However, the freedom of women and equality with men has been banned in the Smriti period. In the epic period, generally, inequality or discrimination against women has not been rendered in social transactions. Valmiki Ramayana depicts the respectable place of women and the idealistic and dignified life. Women had the right to get education, equal participation in the family as men, etc. and the support of any kind of feminine evils is not found in the epic. Through various episodes, it is clear that during that period, emphasis has been laid on making the position of women strong and strong. However, there is no mention of the role of women in governance or administration.

मुख्य शब्द : स्त्री, वेद, ऋग्वेद, मैत्रेयीसंहिता, आपस्तम्ब गृहसूत्र, स्मृतियाँ, वाल्मीकीय रामायण, सामाजिक व्यवस्था व सम्व्यवहार, आदर्श और यथार्थ चारित्रिक शूद्धता, शिक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह, पर्दाप्रथा, स्त्रियों की सहभागिता।

Women, Vedas, Rigveda, Maitreyi Samhita, Apastamba Grihasutra, Smritis, Valmiki Ramayana, Social system and behavior, Ideal and true character purity, Education, Child marriage, Widow marriage, Purdah Pratha, Participation of women.

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय चिन्तन में स्त्री को भी एक वर्ण के रुप में देखा गया है। वैदिक कालीन भारत में स्त्री को मातृशक्ति के रुप में पूजने की परम्परा थी। इसीलिए यह कहा गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।" यह भी एक आम धारणा है कि जिस समाज या परिवार में स्त्री का सम्मान नहीं होता उसका शीध्र ही पतन हो जाता है। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी। उन्हें शिक्षाप्राप्त करने एवं सम्पत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी शिक्षित एवं वेदपाठी महिलाओं के उल्लेख स्त्री की सम्मानजनक स्थिति के सूचक है। वह सभा एवं समितियों में स्वतन्त्रता पूर्वक भाग लेती थीं। हालांकि ऋग्वेद में कई उक्तियाँ इसके विपरीत भी है। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को झूँठ का अवतार कहा गया है। ऋग्वेद में ही कथन है कि

स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं हो सकती क्योंकि उनके ह्रदय भेड़ियों के ह्रदय होते है। ऋगवेद में ही स्त्री को दास की सेना का अस्त्र–शस्त्र कहा गया है।[1]उत्तर वैदिक काल में पुत्रागमन अधिक मांगलिक व आनन्ददायक माने जाने के उपरान्त भी आपस्तम्ब गृहसूत्र में उल्लेख मिलता है कि यात्रा से लौटने पर पिता पुत्र की भाँति पुत्री को भी मंत्रोच्चारण सहित आशीर्वाद देता था।[2]

स्मृतियाँ भी सामाजिक संव्यवहारों में स्त्रियों की स्वतन्त्रता का निशेध करती है। मनु ने मनुस्मति में प्रतिपादित किया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियन्त्रण एवं संरक्षण में रहना चाहिए। वह किसी भी अवस्था में स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है। किन्तु पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की प्रतिष्ठा एवं गरिमा का निर्वहन किया जाना आवश्यक माना है। मुन ने कहा है कि जिस कुल में स्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है उस कुल में देवताओं का वास होता है। इस प्रकार मनु ने स्त्रियों की भूमिका को परिवार तक सीमित माना है। वहीं सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्वतन्त्रता अथवा पुरूषों के साथ उनकी समानता के विचार का पूर्णतः निशेध किया है।[3]

अध्ययन के उद्देश्य

1. समाज में एकीकृत या समावेशी विकास (सभी वर्गों का विकास) की अवधारणा नवीन नहीं है।
2. महिला शक्तीकरण व लैंगिक समानता इस समावेशी विकास का एक भाग है। 3. प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अब तक के मानव इतिहास के एक कालखण्ड में इन प्रयासों का विश्लेषण प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।
3. महाकाव्य, कविताएं, नाटक, उपन्यास अपने समय के समाज का दर्पण होते है। जिनके माध्यम से तत्कालीन समाज की कमियों, अच्छाईयों एवं आवश्यकताओं को अभिव्यक्त किया जाता है।
4. प्रस्तुत शोध पत्र में वाल्मीकीय रामायण में स्त्रियों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।
5. वर्तमान समय में सरकारों के द्वारा इस वर्ग के लिए किय जा रहे प्रयासों को यह शोध पत्र एक ऐतिहासिक आधार प्रदान करता है।

वाल्मिकी रामायण में स्त्री का स्थान

रामायण भारतीय चिन्तन परम्परा का एक प्रतिनिधि ग्रन्थ है। रामायण का सांस्कृतिक महत्व व्यापकतः स्वीकार किया जाता है। उसके सांस्कृतिक पक्ष को केन्द्र बनाकर अनेक अध्ययन भी हुए हैं तथापि रामायण में प्रतिपादित सामाजिक दर्शन के व्यवस्थित अध्ययन का अद्यावधि प्रायः अभाव रहा है। रामायण में उपलब्ध वर्णन एक ऐसे समाज का संकेत करते हैं जिसमें आदर्श प्रतिष्ठित थे। शासक और जनता दोनों ही आचरण की आदर्श अपेक्षाओं से अवगत थे तथा सामान्यतः उनका पालन भी करते थे। रामायण एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें आदर्श और यथार्थ के मध्य कोई अन्तर या खाई दृष्टिगत नहीं होती है। सामाजिक मूल्य प्रायः स्थिर थे तथा चुनौतियाँ आन्तरिक न होकर बाह्य थीं। शासक जनता के प्रति संवेदनशील तथा जनमत को वरीयता देने के प्रति प्रतिबद्ध थे। तथा रामायण में सामाजिक व्यवस्था को महत्व के साथ चित्रित किया गया है। सामाजिक व्यवस्था से सम्बद्ध मूल्य परक विवक्षाओं, सामाजिक संगठन के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पक्षों और सामाजिक सम्व्यहारों के सम्बन्ध में व्यापक चित्रण किया गया है। उपलब्ध विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि रामायण में एक उन्न्त और समृद्ध सामाजिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। चित्रित सामाजिक व्यवस्था इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि समाज आन्तरिक अन्तर्विरोधों व चुनौतियों से प्रायः मुक्त था। सामाजिक व्यवस्था में उन्नत नैतिक व चारित्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा थी। तथा विशिष्टताा यह थी कि मूल्यों व नैतिक मापदण्डों के अभिज्ञान तथा विभिन्न वर्गों द्वारा उन्हें व्यवहार में धारित किए जाने के मध्य कोई गहरी खाई नहीं थी।

रामायण में चित्रित सामाजिक व्यवस्था की विलक्षणता यह है कि ग्रन्थ में वर्ण आधारित सामाजिक भेदभाव अथवा विभेद को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तथा राज्य से भी यह अपेक्षा की गई है कि न्याय प्रदान करने अथवा अन्य दायित्वों का निर्वाह करने में जनता के साथ वर्णों के आधार पर कोई भेदभाव न करे।

वाल्मीकीय रामायण में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में सामान्यतः सामाजिक सम्व्यवहारों में स्त्रियों के विरूद्ध असमानता या भेदभाव का प्रतिपादन नहीं किया गया है। रामायण में स्त्रियों के सम्मानपूर्ण स्थान तथा आदर्शात्मक व मर्यादायुक्त जीवन का चित्रण किया गया है। तथा ग्रन्थ में वर्णित बहुविध प्रसंगों के माध्यम से स्त्रियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे समाज में स्थापित परम्पराओं व मूल्यों के अनुरूप ही व्यवहार करें। ग्रन्थ में केवल राज प्रासाद की स्त्रियों के सम्बन्ध मे ही विवरण उपलब्ध है। जिसका वर्णन निम्नानुसार है :–

वाल्मीकीय रामायण में शासन एवं प्रशासन में स्त्रियों की सहभागिता अथवा शासनिक निकायों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। शासन सम्बन्धी कार्यों में राज परिवार की स्त्रियों के परामर्श को जनस्वीकृति प्राप्त नहीं थी तथा उनके हस्तक्षेप को समाज एवं राज्य विरोधी माना जाता था। जैसे अयोध्या में शासन के उत्तराधिकारी के चयन में जब राजा दशरथ द्वारा महारानी कैकेयी के हस्तक्षेप को स्वीकार किया गया तो प्रजा द्वारा कैकेयी एवं राजा दशरथ की घोर निन्दा की गई।[4] इससे स्पष्ट होता है कि रामायण कालीन समाज में शासनिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति हीन थी।

ग्रन्थ में इस तथ्य के स्पष्ट संकेत मिलते है कि किन्हीं सार्वजनिक उत्सवों एवं कार्यों में भाग लेने के अलावा राज प्रासाद की स्त्रियों का अधिकांश समय राज प्रासाद की सीमाओं में ही व्यतीत होता था। राम के साथ वन गमन हेतु सीता के निर्णय पर प्रजा द्वारा कहा गया कथन इसे प्रमाणित करता है – "अहो! जिसके अभी तक पक्षियों ने भी दर्शन नहीं किए, अब वह राजमार्गों पर चलती हुई देखी जाएगी।"[5] लेकिन रामायण कालीन समाज में स्त्रियों की सार्वजनिक उपस्थिति को विनियमित किए जाने के सम्बन्ध में यह औपचारिक दृष्टिकोण का ही परिचय देता है। वास्तविक और अनौपचारिक रुप से स्त्री का शील, उसके सदाचार के संस्कार को ही माना गया है। एक स्थल पर श्री राम का कथन यही स्पष्ट करता है

कि "चार दीवारी, घर, वस्त्र आदि स्त्रियों के लिए एक औपचारिक आवरण मात्र हैं, वस्तुतः स्त्री का वास्तविक आवरण उसके शील व सदाचार है।"[6] श्रीराम के वनवास प्रस्थान कर जाने पर चित्रकूट में जब तीनों माताएं उनसे मिलने गई तो उनके मुख पर किसी प्रकार का आवरण नहीं था। अतः स्पष्ट है कि वाल्मीकीय रामायण में पर्दाप्रथा के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण का परिचय मिलता है।

ग्रन्थ में स्त्रियों को शिक्षाप्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था। ग्रन्थ में ऐसे उदारहण भी उपलब्ध हैं कि जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की। जैसे कुशध्वज की कन्या वेदवती ने चिर–ब्रह्मचर्य अपना पर आजन्म शिक्षाग्रहण की। इसी प्रकार मैत्रेयी ने वाल्मीकि तथा अगस्त्य जैसे ऋषियों से वेदान्त की शिक्षाग्रहण की। राम के राज्याभिषेक के समय कौशल्या द्वारा यज्ञ कर मंत्रविद होने का परिचय दिया गया।[7] ग्रन्थ में सहशिक्षा के भी उदाहरण मिलते है। जैसे मैत्रेयी ने वाल्मीकि के आश्रम में रहकर शिक्षाप्राप्त की थी। वाल्मीकि के आश्रम में तपस्विनियों के विचरण के उदाहरण मिलते है। स्पष्ट है कि स्त्रियाँ वन में रहकर तपस्या भी करती थी। साथ ही स्त्रियाँ घर में रहकर शिक्षाप्राप्त करती थी। जैसे– सीता ने घर पर रहकर शिक्षाप्राप्त की थी। उच्च शिक्षाप्राप्त करने हेतु स्त्रियाँ आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती थी।[8]

रामायण में स्त्री का परिवार में पुरूष के समान संस्तर स्वीकार किया गया है। स्त्री की सहभागिता के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना गया है। अश्वमेघ यज्ञ के समय राम ने सीता की अनुपस्थिति में (सीता के वनवास के कारण) सीता की मूर्ति बनाकर रखी थीं स्त्रियों की देखभाल एवं सुरक्षा करना पति का दायित्व माना गया है। वहीं स्त्री से भी पत्नि के रुप में पति के प्रति दायित्व निर्वहन की अपेक्षा की गई है। पति की सेवा पत्नि का पवित्र धर्म माना गया है जो उसके पारलौकिक जीवन को सुखमय बनाता है।

रामायण में पति को स्त्री का देवता, बन्धु व गुरू माना गया है। पति के प्रति समर्पण भाव रखने का उल्लेख स्त्रियों की हीन स्थिति का परिचायक नहीं माना जा सकता। क्योंकि पुरूषों के लिए भी समान रुप से स्त्रियों के प्रति दायित्वों का निर्धारण किया गया है। तथा सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन महाकाव्य में वर्णित सुदृढ़ व आदर्श सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षित अनिवार्यता है।[9]

ग्रन्थ में स्त्रियों के लिए विवाह की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया गया है। तथा यह कहा गया है कि पति विहीन स्त्री का जीवन तन्त्रविहीन वीणा तथा चक्र विहीन रथ के समान निरर्थक है। कन्या का विवाह करना पिता का पवित्र दायित्व माना गया है। रामायण में अन्तर्वर्णीय विवाह के भी संकेत मिलते हैं। जैसे वैश्य पुरूष के द्वारा शूद्र स्त्री के साथ विवाह करने के उदाहरण ग्रन्थ में मिलते है।[10] सामान्यतया रामायण कालीन समाज में एक पत्नीकता प्रतिष्ठित थी। सीता के वनवास चले जाने पर राम ने दूसरा विवाह न करके यही आदर्श स्थापित किया। परन्तु राजवंष में बहुपत्नीकता के उदाहरण भी मिलते है। राजा दशरथ के तीन पत्नियाँ थीं। परन्तु रामायण में एकाधिक पत्नियों से विवाहित पति से यह अपेक्षा व्यक्त हुई है कि वह सभी पत्नियों के साथ समानता का व्यवहार करे। सभी के सम्मान, प्रतिष्ठा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिष्चित करें।

ग्रन्थ में सती प्रथा का विरोध किया गया है। जैसे बालि की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी तारा द्वारा उसके साथ मर जाने के विचार का श्रीराम द्वारा अनेकशः विरोध किया गया।[11] राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात् तीनों रानियाँ जीवित रही थीं। हालांकि कतिपय उदाहरण सती प्रथा के भी मिलते है। परन्तु वे उदाहरण किसी सामान्य परम्परा का द्योतक नहीं है। बल्कि सती होने के असाधारण उदाहरण हैं।

ग्रन्थ में विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। बालि की मृत्यु के पश्चात् तारा ने सुग्रीव से विवाह किया था। इसी प्रकार एक स्थान पर सीता ने क्रोध पूर्वक लक्ष्मण को यह कहा कि तुम राम की रक्षा करने इसलिए नहीं जाना चाहते ताकि उनके मर जाने पर मुझे अपनी पत्नी बना सको। यह कथन विधवा विवाह की सामाजिक स्वीकृति का संकेत है। इसी प्रकार ग्रन्थ में बाल विवाह के प्रचलन के कोई संकेत नहीं मिलते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की सुदृढ़ स्थिति का द्योतक है।

स्त्रियों के साथ बलात्कार करने अथवा शीलभंग करने के कृत्य निन्दनीय माने गए हैं। ऐसी घटनाऐं राज्य में घटित होना शासक के लिए भी महान् अधर्म रूपी कार्य माना गया है। हालांकि स्त्रियों की चारित्रिक पवित्रता व शुद्धता को व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है। स्त्री के चरित्र पर लगा कलंक सम्पूर्ण वंश को नष्ट करने वाला माना गया है। सीता के चरित्र को लेकर उठ रही शंकाओं के कारण, सीता की छवि को प्रजा में पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु राम ने भरी सभा में सीता को अपनी शुद्धता एवं चारित्रिक पवित्रता की शपथ लेने को कहा था।[12]

ग्रन्थ में स्त्रियों पर किसी भी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक आघात का निशेध किया गया है। लंका में प्रवेश के समय हनुमान को लंका नामक राक्षसी ने रोकने का प्रयास किया। हनुमान के प्रहार से भयभीत राक्षसी ने हनुमान जी को कहा– "कपिश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। महाबली, सत्वगुणशाली वीर पुरूष शास्त्र की मर्यादा पर स्थिर रहते हैं।" (शास्त्रों में स्त्री को अवध्य माना गया हैं।)।[13] क्रोध व विपत्ति में होने पर भी सज्जनों द्वारा स्त्रियों के प्रति कठोरतापूर्ण व्यवहार का निशेध किया गया है। रावण द्वारा सीता का अपहरण करने पर जटायु ने स्त्री पर किए गए आघात को निन्दनीय मानते हुए कहा– "धीर, वह कर्म नहीं करो जिसकी दूसरे लोग निन्दा करें। जैसे पराए पुरूष के स्पर्श से अपनी पत्नी की रक्षा की जाती है वैसे ही परायी स्त्रियों की भी रक्षा की जानी चाहिए।"[14]

ग्रन्थ में वर्णित उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त कुछ दुर्लभ प्रसंग स्त्रियों की हीन स्थिति का आभास कराते है। जैसे ग्रन्थ में स्त्रियों की चारित्रिक शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया गया है लेकिन पुरूषों के चरित्र को लेकर कोई प्रसंग उपलब्ध नहीं है। सीता की अग्नि परीक्षा के दृष्टान्त

को भी स्त्रियों की आदर्शात्मक स्थिति को प्रतिष्ठित करने का संकेत माना गया है।

इसी प्रकार ग्रन्थ में स्त्री को स्वयं की इच्छा से वर चुनने के किसी अधिकार का संकेत नहीं मिलता है। यद्यपि स्वयंवर प्रथा के संकेत ग्रन्थ में उपलब्ध हैं परन्तु इस प्रथा में भी किसी पूर्व निर्धारित योग्यता रखने वाले पुरूष का वर के रुप में वरण करना स्त्री के लिए आवश्यक बना दिया जाता था तथा स्त्री के वर चुनने की स्वतन्त्रता को परिसीमित कर दिया जाता था, वह किसी भी पुरूष को वर चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं होती थी। सीता स्वयंवर इसी प्रकार के संकेत का प्रमाण हैं।[15]

ग्रन्थ में शिक्षाएवं धार्मिक अनुष्ठानों आदि में स्त्रियों की स्वतंत्र भूमिका के विशिष्ट उदाहरण उपलब्ध है, फिर भी अनेकशः उपलब्ध व अन्य वर्णनों के आधार पर यह माना जा सकता है कि ग्रन्थ मे सामान्यतः स्त्री को पुरूष की अपेक्षा हीन या दुर्बल ही माना गया हैं तथा पुरूष वर्ग से उसे सुरक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। ग्रन्थ में पर्दा प्रथा के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है किन्तु एक स्थल पर श्रीराम के द्वारा कहा गया वाक्य भिन्न दृष्टिकोण भी व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि "विपत्ति काल, शारीरिक या मानसिक पीडा के समय, युद्ध मे, स्वयंवर में, यज्ञ में, विवाह आदि में स्त्री दिखना (या दूसरों की दृष्टि में आना) दोष की बात नहीं है।"[16] यह प्रसंग यह संकेत देता है कि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सामान्य रुप से स्त्रियों का सार्वजनिक अनावरण दर्शन अनुमत नहीं था। परन्तु रामायण कालीन समाज में स्त्रियों की सार्वजनिक उपस्थिति को विनियमित किए जाने के सम्बन्ध में यह औपचारिक दृष्टिकोण का ही परिचय देता है।

ग्रन्थ में स्त्रियों के स्वभावगत सामान्य दोषों का भी उल्लेख मिलता है। स्त्रियों को सुविधा भोगी माना गया है। यह उल्लेख किया गया है कि जब पति धनधान्य से सम्पन्न, स्वस्थ एवं सुखी होता है तो स्त्रियाँ उसमें अनुराग रखती हैं, विषम स्थिति होने पर उसे त्याग देती है। स्त्रियोचित दोषों जैसे चपलता, तीक्ष्णता, गतिशीलता, विनयशीलता का अभाव आदि सामान्य दोषों की ओर भी संकेत किया गया है। यह कहा गया है कि स्त्रियाँ किसी समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं करती हैं। तथा फूट डालने वाली होती है। किन्तु यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ग्रन्थ में वर्णित उपर्युक्त प्रकार के प्रसंग अपवाद के रुप में ही चित्रित हुए है। इस प्रकार के विरल प्रसंग ग्रन्थ के सामान्य दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं माने जा सकते।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि रामायण कालीन सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति सन्तोषजनक थी। वह पत्नि के रुप में पारिवारिक जीवन में पुरूष की अनिवार्यतः पूरक थी। सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन महाकाव्य में वर्णित सुदृढ़ व आदर्श सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षित अनिवार्यता है, तथा ग्रन्थ में पुरूषों के लिए भी समान रुप से स्त्रियों के प्रति दायित्वों का निर्धारण किया गया है। ग्रन्थ में किसी भी प्रकार के शोषण का समर्थन नहीं किया गया है। सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था द्वारा हर प्रकार से स्त्रियों को संरक्षण प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता स्वीकार की गई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *रिसर्च एनेलेसिस, VOL- II, जुलाई–दिसम्बर, पृष्ठ – 162*
2. *उपरोक्त, पृष्ठ – 150*
3. *मधुकर श्याम चतुर्वेदी – प्रमुख भारतीय राजनीति विचारक, पृष्ठ– 18*
4. *पुष्पा चौधरी – वाल्मीकीय रामायण में राज्य व्यवस्था, पृष्ठ – 114*
5. *वाल्मीकीय रामायण – अयोध्या काण्ड*
6. *उपरोक्त – 27वां श्लोक*
7. *पुष्पा चौधरी – पूर्वोक्त, पृष्ठ – 115*
8. *वाल्मीकीय रामायण – उत्तरकाण्ड*
9. *पुष्पा चौधरी – पूर्वोक्त, पृष्ठ – 116*
10. *वाल्मीकीय रामायण, अयोध्या काण्ड – 63/51, 52*
11. *उपरोक्त, किष्किन्धा काण्ड, 24/41, 42*
12. *पुष्पा चौधरी– पूर्वोक्त, पृष्ठ – 118*
13. *वाल्मीकीय रामायण, सुन्दरकाण्ड*
14. *उपरोक्त, अरण्यकाण्ड*
15. *पुष्पा चौधरी– पूर्वोक्त, पृष्ठ – 116*
16. *वाल्मीकीय रामायण, युद्धकाण्ड*